आशु वगै0 बनाम बाबू हुसैन वगै0

अपील संख्या : 16/52

29.01.2019	पत्रावली पेश हुई । प्रकरण में तीन प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं । एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत पेश किया है और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.12.2015 को रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी उनके खाते होना तथा उनकी क्रयशुदा भूमि होने के बाबत् कहने पर हई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है जो कि सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 15.12.2015 से नकल प्राप्त होने की दिनांक 16.12.2015 से 23.12.2015 तक के दिन मुजरा करने पर अवधि मध्य पेश है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.1970 से अपीलान्ट को निर्णय एवं डिक्री जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 15.12.2015 से नकल प्रापत होने की दिनांक 23.12.2015 तक की डिले कण्डोन की जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार की जावे । रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में सन् 1971 में ही वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते में दर्ज हो गई थी । इस तथ्य की जानकारी रामदेव, नन्दकिशोर एवं हजारी लाल को थी । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा है । अपीलान्टगण को दिनांक 15.12.2015 को सर्वप्रथम जानकारी होना बताया है दिनांक 15.12.2015 को अपीलान्टगण की रेस्पोडेन्ट से कोई बातचीत नहीं हुई । दिनांक 14.09.1970 के निर्णय की अपील दिनांक 23.12.2015 को की गई ज़ो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जावे । एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से व 7 से 9 ने न्यायालय हाजा में पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया । इस प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 की सत्यप्रतिलिपि पेश की है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 90 पुराना 83 की खसरा नम्बर 527 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.17 हैक्टर कुल 02 किता की 0.32 हैक्टर भूमि छोटे मोहम्मद पिता चॉद खॉ हिस्सा 1/2, बाबू हुसैन, नजीर मोहम्मद अब्दुलसलाम पिस0 जमाल रूकनवानों पुत्री ईदावानो बेवा जमाल हिस्सा 6/14 हिस्सा बराबर सलीम मोहम्मद, शरीफ मोहम्मद पि0 नूर मोहम्मद नसीम वानो, शमीमवानो पुत्रियॉ शकूरवानो बेवा नूर मोहम्मद हिस्से 1/14 हि0 बराबर खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी सवंत् 2072 से 2075 की सत्यप्रतिलिपि पेश की है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 178 पुराना 161 की खसरा नम्बर 77 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 533 रकबा 1.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.92 हैक्टर कुल 03 किता की 2.88 हैक्टर भूमि बाबू हुसैन, नजीर मोहम्मद, अब्दुल

सलाम पि0 जमाल खॉ हिस्सा बराबर खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 की सत्यप्रतिलिपि पेश की है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 91 पुराना 84 की कुल 07 किता की 6.34 हैक्टर भूमि छोटे मोहम्मद पुत्र चॉदखॉ कौम मुसलमान के नाम खातेदारी में दर्ज है । नामान्तरकरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 14.09.1970 की पालना में खसरा नम्बर 345 की रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा भूमि वादीगण जमाल एवं छोटू आत्मज चॉद खॉ के खाते में दर्ज की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार रामदेव, हजारी लाल, नन्दकिशोर बेटा मोडू के खाते में कुल 04 किता की 25 बीघा भूमि दर्ज है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 53 का हवाला है । भू–प्रबन्ध विभाग की नकल जमाबन्दी संवत् 2038 से 2057 की प्रमाणित प्रति संलग्न है और इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है ।

एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के द्वारा अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया है जिसमें ये कथन किया कि विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया है । मूल विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट के कब्जे में है जिनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के साथ माननीय न्यायालय में भी पेश नहीं किया गया है । अपीलान्ट द्वारा जानकारी दी गई है कि तत्कालीन खातेदारान द्वारा कोई विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नहीं करवाया गया है । कोई भी विक्रय पत्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा जनरल व्यक्ति के पक्ष में किया जाना भी धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनन प्रभाव शून्य है तथाकथित विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट के कब्जे में है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर यह विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट से न्यायालय में प्रस्तुत करवाया जावे ।

इस प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह कथन किया है कि अपीलान्टगण के द्वारा बेचान के तथ्य को स्वीकार किया गया है और इस प्रार्थना पत्र के जरिये अपीलान्ट बेचान के तथ्य से इंकार कर रहे हैं जो कि एक आफ्टरथोट है । विक्रेता रामदेव, नन्दकिशोर एवं हजारी लाल द्वारा उक्त आराजी क्रेतागण से विक्रय प्रतिफल की राशि की प्राप्त कर बेचान कर क्रेतागण को कब्जा संभलाया गया था । पंजीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र के वैध एवं जेन्यूइन होने की अवधारणा है । अपीलान्ट किस उद्देश्य से मूल विक्रय पत्र को न्यायालय में प्रस्तुत करवाना चाहते हैं । अपीलीय न्यायालय में गवाह सबूत भी नहीं लिये जाते । आदेश 11 नियम 12 व 14 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधान विचारण न्यायालय के लिए हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे ।

इन तीनों प्रार्थना पत्रों पर एक साथ बहस सुनी गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि धारा 5 के साथ–साथ गुणावगुण पर भी बहस सुना जाना आवश्यक है और इस क्रम में उनके द्वारा कुछ नजीरें भी पेश की गई, जबकि रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि सर्वप्रथम धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निरस्तारण किया जाना आवश्यक है उसके उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर बहस सुनी

	जा सकती है । विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट प्रार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दिनांक 14.09.1970 को डिक्री किया गया है इस दावे में वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया गया है । अपीलान्टगण जो कि खातेदार थे उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । डिक्री पूर्णतया अवैधानिक है । अपीलान्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं उनकी भूमि सवर्ण जाति के व्यक्ति के खाते में दर्ज नहीं की जा सकती । धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंधन हुआ है इस कारण डिक्री त्रुटिपूर्ण है । दिनांक 02.09.1970 को दावा पेश हुआ और दिनांक 14.09.1970 को एकपक्षीय साक्ष्य लोकर डिक्री किया है । वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार रामदेव, हजारी और नन्दकिशोर थे । सेटलमेंट से पूर्व इस आराजी का साबिक खसरा नम्बर 345 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा थे इसके नये खसरा नम्बर 568 रकबा 0.92 हैक्टर रकबा 0.93 हैक्टर रकबा 570 रकबा 0.17 हैक्टर कायम किये गये हैं । सेटलमेंट विभाग ने बिना अपीलान्ट को सुने खसरा नम्बर 568 रकबा 0.92 हैक्टर आराजी प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 के खाते दर्ज कर दी । खसरा नम्बर 569 रकबा 0.93 हैक्टर रेस्पोडेन्ट क्रम 4 छोटे खॉ के नाम दर्ज कर दी । रेस्पोडेन्ट क्रम 5 से 9 के खाते वर्तमान खसरा नम्बर 570 रकबा 0.17 हैक्टर दर्ज कर दी । निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.12.2015 को रेस्पोडेन्ट के द्वारा बताने पर हुई । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे । विक्रय पत्र की प्रति जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है उसके अनुसार विक्रय पत्र रामदेव के द्वारा तहरीर किया गया है अन्य सहखातेदारों के द्वारा तहरीर नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र वैध नहीं है । अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 11, 12, 14 एवं धारा 151 पीसी के समर्थन में कथन किया है कि मूल विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट के कब्जे में है । अपीलान्ट की जानकारी के अनुसार कोई विक्रय पत्र तत्कालीन खतोदारान द्वारा नहीं करवाया गया है । विक्रय पत्र 42 के उल्लंघन से है । अतः असल विक्रय पत्र पेश करने के आदेश दिये जाते हैं । उन्होंने अपने पक्ष में समर्थन में आरआरटी 2004 (1) पेज 375, आरआरटी 2004 (2) पेज 758, आरआरटी 2009 (1) पेज 468, डीएनजे (राज0) 2003 (1) पेज 251, आरआरटी 2011 (2) पेज 1350, आरआरटी 2002 (1) पेज 648, आरआरडी 2016 पेज 759, आरआरटी 2002 (2) पेज 833, आरआरटी 2002 (1) पेज 577, आरआरडी 2000 पेज 260, आरआरडी 2004 पेज 92, आरआरटी 2003 पेज 780, आरआरटी 2003 (1) पेज 724, डीएनजे 2014 (एससी) पेज 889 उद्धरत की । विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि मियाद के बिन्दु को सर्वप्रथम तय किया जाना आवश्यक है इसके उपरान्त ही गुणावगुण पर विचार किया जा सकता है । उनके द्वारा यह कथन किया गया कि वर्ष 1970 में पारित निर्णय के खिलाफ वर्ष 2016 में अपील पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित हैं । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी रेस्पोडेन्ट के माध्यम से दिनांक 15.12.2015 को होना बताते हैं परन्तु इतने रेस्पोडेन्ट में से किस ने उन्हें यह जानकारी दी इस तथ्य का जिक्र नहीं किया गया है और न ही काई शपथ पत्र पेश किया गया है । रेस्पोडेन्टगण के द्वारा अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं दी है । वादग्रस्त आराजी सन् 1970 से रेस्पोडेन्टगण के खाते एवं कब्जे में है । सन् 1970 से लेकर सन् 2016 तक

उनके द्वारा खाते की नकल नहीं देखी गई उनका यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । अपीलान्टगण के द्वारा एक अन्य अपील दूसरें पक्षकारों के खिलाफ इसी न्यायालय में सन् 2015 में पेश की गई थी जो इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.02.2018 को मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई है । उस प्रकरण में अपीलान्टगण के द्वारा यह कथन किया गया था कि सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.03.2015 को अपने पूर्वज रामदेव, हजारी लाल एवं नन्दकिशोर के खाते की नकल प्राप्त करने पर हुई । रामदेव, हजारी और नन्दकिशोर के खाते की नकल इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पेश की गई है जो संवत् 2026 से 2029 की है जिसमें वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य आराजीयात भी उनके खाते में दर्ज है । यदि अपीलान्ट के द्वारा उस अपील में जो तथ्य कहे गये थे उनको सही माना लिया जावे तो भी दिनांक 19.03.2015 को उन्हें यह जानकारी हो गई थी कि वादग्रस्त आराजी उनके खाते में दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में उनका यह कथन कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 15.12.2015 को रेस्पोडेन्ट के बताने पर हुई तथ्यों के विपरीत है । रेस्पोडेन्ट ने जो दस्तावेज पेश किये हैं वो प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जावे और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 व 14 एवं धारा 151 सीपीसी मेन्टेनेबल नहीं है क्योंकि यह प्रावधान दावे पर लागू होते हैं अपील पर लागू नहीं होते हैं । माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के द्वारा 2018 (2) डीनजे (राज0) पेज 774 में यह होल्ड किया है कि जब तक धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निरस्तारण नहीं हो तब तक अन्तरिम स्थगन आदेश भी पारित नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आरआटी 2018 (1) पेज 485 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 5 के तहत विलम्ब का शमन किये बिना अपील का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । आरआरटी 2016 (1) पेज 333 में भी यह निर्धारित किया गया है कि विलम्ब के बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना आवश्यक है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में 2018 (1) आरआरटी पेज 485, 2016 (1) आरआरटी पेज 333, 2010 (2) आरआरटी पेज 801, 2017 (1) आरआरटी पेज 117, 1996 डीएनजे (राज0) पेज 738, आरआरडी 1989 पेज 492, आरआरडी 1980 पेज 122 उद्धरत की ।

हमने प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.09.1970 को वादीगण का दावा डिक्री कर उन्हें वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया है जिसके खिलाफ अपील सन् 2016 में 46 वर्ष बाद अपील पेश की गई है। अपीलान्ट के द्वारा धारा 05 के साथ–साथ गुणावगुण पर भी बहस की गई । और उनके द्वारा कुछ नजीरें भी उद्धरत की गई हैं और यह कथन किया गया है कि अपील सारहीन होने की शर्त पर ही अपील खारिज की जावे अन्यथा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2004 (1) पेज 375, आरआरटी 2004 (2) पेज 758, डीएनजे 2003 (1) पेज 251, आरआरटी 2002 (1) पेज 648 उद्धरत की हैं ।

इसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट का कथन है कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को देखा जाना आवश्यक है अपने पक्ष के समर्थन में उनके द्वारा माननीय उच्च

न्यायालय राजस्थान जयपुर की नजीर 2018 (1) आरआरटी पेज 485, आरआटी 2018 (1) पेज 485, 2016 (1) आरआरटी पेज 333 उद्धरत की हैं ।

रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो नजीरें उद्धरत की गई है उसमें डीएनजे 2018 (1) पेज 774 माननीय उच्च न्यायालय की है इसके अलावा आरआटी 2018 (1) पेज 485, 2016 (1) आरआरटी पेज 333 में माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा यह होल्ड किया गया है कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो नजीरें उद्धरत की हैं वो अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत नजीरों के बाद की है जिसमें यह होल्ड किया गया है कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक है ।

रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसके साथ संलग्न दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड एवं न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जा कर उक्त प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है ।

अपीलान्ट ने आदेश 11 नियम 12 व 14 व धारा 151 के तहत जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि धारा 11 नियम 11 व 12 के प्रावधान दावे पर लागू होते हैं न कि अपील पर । वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है । विक्रय धारा 42 बी के उल्लंघन से हुआ है यह भी स्वीकृत तथ्य है । ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का कोई औचित्य भी प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 एवं धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

अपीलान्ट के द्वारा अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 15.12.2015 को रेस्पोडेन्ट के द्वारा देने पर होना बताया है और यह नहीं लिखा है कि किस रेस्पोडेन्ट के द्वारा उन्हें बताया गया है । न तो उसका नाम अंकित किया गया है और न ही किसी का शपथ पत्र पेश किया है । साथ ही रेस्पोडेन्ट के विद्धान् अभिभाषक के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.2018 की जो नकल पेश की गई है उसमें अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 19.03.2015 को अपने पूर्वज रामदेव, हजारी लाल एवं नन्दकिशोर के खाते की नकलें प्राप्त करने करने का जिक्र किया गया है । यदि अपीलान्ट ने दिनांक 19.03.2015 को अपने पूर्वजों के खाते की नकल प्राप्त कर ली गई थी, तो भी अपील 12.01.2016 को पेश की गई है जो कि विलम्ब से है । अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट उसी ग्राम में निवास करता है । आराजी भी उसी ग्राम में है ऐसी स्थिति में 46 साल तक उन्हें यह जानकारी नहीं मिली कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है । पिछले 46 साल से उन्होंने कभी जमाबन्दी की नकलें नहीं ली व न ही कभी कढता पिलाई जमा करवाया ये तथ्य कुछ तार्किक प्रतीत नहीं होते । अपीलान्ट ने यह कथन किया है कि उन्हें रेस्पोडेन्ट के द्वारा सर्वप्रथम 15.12.2015 को जानकारी देने पर यह ज्ञात हुआ कि आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है परन्तु किस रेस्पोडेन्ट ने बताया यह स्पष्ट नहीं किया है व न ही किसी

रेस्पोडेन्ट का शपथ पत्र पेस किया है । रेस्पोडेन्टगण द्वारा इस आशय की कोई जानकारी अपीलान्ट को देने से इंकार किया है । इन तथ्यों के आधार पर अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है व विलम्ब के शमन का युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक सहमति पत्र भी संलग्न है जिसमें यह अंकित किया गया है कि जो जमीन रामदेव ने छोटेखॉ एवं जमाल को बेचान की है उसमें हजारी एवं नन्दकिशोर की सहमति है । इस राजीनामा के मुताबिक तीनों भाईयों ने आज छोट्या और जमाल को भूमि का कब्जा दे दिया है । आज से इस जमीन का मालिक छोट्या एवं जमाल हो गये हैं । रामदेव एवं हजारी लाल और नन्दकिशोर के इस आराजी में कोई अधिकार एवं स्वत्व नहीं हैं। इस प्रकार यह राजीनामा जो कि 10 जनवरी 69 को पेश किया गया है इसके अनुसार रामदेव, नन्दकिशोर और हजारी ने सन् 1969 में वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा नहीं होना स्वीकार किया है । अपीलान्टगण ने अपील मीमो में वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में अपना कब्जा नहीं बताया है और न ही अपने कब्जे के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है । आराजी सिचिंत है जिसमें कर्ता पिलाई भुगतान में नाम व पता अंकित किया जाता है ऐसी कोई रसीद अपने कब्जे के समर्थन में अपीलान्टगण ने पेश नहीं की है । वादग्रस्त आराजी का बेचान यद्यपि धारा 42 बी के उल्लंघन में हुआ है परन्तु इस आराजी के बाबत् अपीलान्ट के अधिकार 1970 से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के कारण धारा 63 (iV) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके हैं । धारा 42 बी के उल्लंघन के आधार पर सरकार इसमें धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकती है । अधीनस्थ न्यायालय में जो दावा 1970 में किया गया था उसमें सरकार पक्षकार थी और सरकार के द्वारा जवाबदावा भी पेश किया गया था परन्तु धारा 175 की कार्यवाही भी नहीं की गई है ।

अपीलान्टगण के द्वारा पेश की गई अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है साथ ही वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा भी नहीं है । वादग्रस्त आराजी में उनके अधिकार धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे 2018 (1) पेज 774, 2018 (1) आरआरटी पेज 485, 2016 (1) आरआरटी पेज 333, 2010 (2) आरआरटी पेज 801, 2017 (1) आरआरटी पेज 117, 1996 डीएनजे (राज0) पेज 738, आरआरडी 1989 पेज 492, आरआरडी 1980 पेज 122 यहॉ चस्पा होती हैं ।

अपीलान्टगण के पूर्वज वादग्रस्त आराजी का प्रतिफल लेकर बेचान कर कब्जा संभला चुके हैं और अपीलान्टगण की कब्जा पुनः प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है ।

इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने व अपीलान्टगण के अधिकार वादग्रस्त आराजी में 63 (iV) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त होने के आधार पर खारिज होने योग्य है । प्रस्तुत प्रकरण में धारा 42 बी का उल्लंघन है । तहसीलदार लाडपुरा की जानकारी में

सन् 1970 में यह तथ्य आ गया था । फिर भी धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की गई । सरकार के द्वारा धारा 175 के तहत कार्यवाही करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है । फिर भी सरकार के पास विधिक प्रावधानों के तहत कोई **Remedy** उपलब्ध है तो वो कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है ।

29.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/52

आशु आयु 28 वर्ष पुत्र श्री रामदेव जी जाति चमार व अन्य ।

——**अपीलार्थी**

बनाम

बाबू हुसैन पुत्र जमाल खॉ जाति मुसलमान निवासी रंगतलाब उर्फ काला तलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा व अन्य ।

——**प्रत्यर्थी**

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.1970 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 184/दावा/1970

1. जमाल आत्मज चॉद खॉ आयु 35 वर्ष जाति मुसलमान ।
2. छोटू आत्मज चांद खॉ आयु 30 वर्ष जाति मुसलमान निवासी रंग तालाब उर्फ काला तालाब व तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.1970 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 29.01.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री ओमप्रकाश प्रजापति एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 29.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

29.1.19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा